"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2004—पौष 10, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1051/787/2004/1-8/स्था.—श्री जे. मिंज, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-12-2004 से 1-1-2005 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2-1-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. मिंज, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. मिंज, अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1015/775/2004/1-8/स्था.—श्री सतीश पाण्डे, उप-सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग को दिनांक 2-11-2004 से 11-11-2004 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12 से 15-11-2004 तक के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सतीश पाण्डे, उप-सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश पाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1053/814/2004/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 8-12-2004 से 10-12-2004 तक 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

क्रमांक 6032/812/2004/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23-11-2004 से 29-11-2004 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक 6035/817/2004/1-8/स्था.—श्री पी. सी. मिश्रा (भा. व. से.) विशेष सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 20-12-2004 से 1-1-2005 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19 दिसम्बर, 04 एवं 02 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. मिश्रा को विशेष सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

क्रमांक 2905/1935/2004/1/2/लीव.—श्री एम. आर. सारथी, भा.प्र.से. को दिनांक 26-10-2004 से 3-11-2004 तक (9 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सारथी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सारथी को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सारथी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/32/2004/1/2/लीव.—श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से., तत्कालीन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 4-11-2004 से 1-12-2004 तक (28 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/60/2004/1/2.—श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 20-12-2004 से 7-1-2005 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 दिसम्बर, 2004 तथा 8 एवं 9 जनवरी, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक 2925/1604/2004/1/2/लीव.—इस विभाग के आदेश दिनांक 28-10-2004 द्वारा डॉ. ए. जयतिलक, भा.प्र.से. को दिनांक 9-10-2004 से 7-11-2004 तक (30 दिवस) का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में दिनांक 8-11-2004 से 31-12-2004 तक (54 दिवस) का और असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेगी.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2004

क्रमांक 2972/1617/2004/1/2/लीव.—श्रीमती ईशिता राय, भा.प्र.से. को दिनांक 22-12-2004 से 30-12-2004 तक (9 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती राय आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती राय को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2/लीव.—श्री पी. जाय. उम्मेन, भा.प्र.से. को दिनांक 23-12-2004 से 7-1-2005 तक (16 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9 जनवरी, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. श्री उम्मेन के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज साधन विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

4. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2004

संशोधन आदेश

क्रमांक 7274/डी-3034/21-ब/छ. ग./04.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 7012/डी-2487/21-ब/छ. ग./04, दिनांक 27-11-2004 में राज्य शासन निम्न संशोधन करता है :—

"आदेश के प्रथम कंडिका में उल्लेखित दिनांक 1-11-2004 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों को प्रदान किये जाने वाली सुविधा की शर्त को तत्काल प्रभाव से विलोपित करता है, अर्थात् उपरोक्त समसंख्यक आदेश में प्रदत्त सुविधा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सभी न्यायाधीशों के लिए प्रभावशील होगी."

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 1620/बजट-3, दिनांक 14-12-2004 से सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7852/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	सहसपुर प.ह.नं. 66/5	2.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7853/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पुरैना प.ह.नं. 69/8	6.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7854/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रूवातला प.ह.नं. 9/70	16.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7855/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	नवागांव अनिया प.ह.नं. 69/8	9.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7856/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पेन्डरी प.ह.नं. 69/8	10.84	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7857/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कसारी प.ह.नं. 69/8	6.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक 8891/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुटेरी प.ह.नं. 30	0.42	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सुरगी-भर्रेगांव-खुटेरी मार्ग के कि.मी. 9/2 पर शिवनाथ नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक 8892/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भर्रेगांव प.ह.नं. 31	1.50	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सुरगी-भर्रेगांव-खुटेरी मार्ग के कि.मी. 9/2 पर शिवनाथ नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2004

प्रकरण क्रमांक 1-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भनसुला प.ह.नं. 45	19.65	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परि. स./लोहारा.	ग्राम जुनवानी के पुनर्वास हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 1 अ-82 वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	परसदा प.ह.नं. 8	2.18	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग, क्रमांक-3 तिल्दा (तुलसी)	भाटापारा शाखा नहर की गुजरा वितरक शाखा नहर के विस्तारित नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 20अक्टूबर 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 2 अ-82 वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	गुजरा प.ह.नं. 4	2.02	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग, क्रमांक-3 तिल्दा (तुलसी)	भाटापारा शाखा नहर की गुजरा वितरक शाखा नहर के विस्तारित नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004

प्रकरण क्रमांक 14/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-गतौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2601/1	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004

प्रकरण क्रमांक 15/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-उसलापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
154/7	0.22
योग	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004

प्रकरण क्रमांक 16/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-पिपरानार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
880	0.15
योग	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004

प्रकरण क्रमांक 17/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-मडई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
120	0.02
योग	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर ,दिनांक 23 अगस्त 2004

क्रमांक 18/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-कौड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	513/4	0.08
योग		0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर ,दिनांक 23 अगस्त 2004

प्रकरण क्रमांक 19/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-सीपत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	847/3	0.18
योग		0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत पावर ग्रिड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004

प्रकरण क्रमांक 20/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1150/1	0.05
	1150/2	0.03
योग		0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर दिनांक 23 अगस्त 2004

क्रमांक 21/अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	750	0.10
योग		0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राज्य शासन के संकल्प

वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग

क्रमांक/एफ 20-95/04/11/(6)/2004 रायपुर, दिनांक 9-11-2004

संकल्प

राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार "औद्योगिक नीति (2004-2009)" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव.

औद्योगिक नीति (2004–2009)

1. प्रस्तावना –

1.1 प्रचूर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ राज्य 21 वीं सदी का राज्य है। छत्तीसगढ़ जहां मूल्यवान वनों एवं वनौषधियों की 88 से अधिक प्रजातियों सहित लघु वनोपज से धनी क्षेत्र है, वहीं राज्य में मूल्यवान खनिजों सहित खनिज सम्पदा के बड़े भंडार हैं । इन संसाधनों की सुलभ उपलब्धता से यहां औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं ।

1.2 राज्य सरकार, क्षेत्रीय संतुलन के साथ तेजी से सुनियोजित आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए राज्य को शीघ्रातिशीघ्र "विकसित राज्य" की श्रेणी में लाने के लिए कृत संकल्पित है । छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए औद्योगिक विकास की वर्तमान दर में वृद्धि करना आवश्यक है । राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढाने और रोज़गार के अवसर सृजित करने हेतु पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है ।

1.3 नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्धेश्य राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य में ही वैल्यू एडीशन के लिए करना और प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना है । राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए यह प्रयास किया गया है कि निवेश के लिए आवश्यक अधोसंरचना सुलभ हो सके, उत्पादन लागत में कमी आए और प्रशासन उद्योगों की स्थापना के लिए मित्रवत् कार्य करते हुए सहयोगी बने। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को अहम स्थान दिया गया है ।

1.4 राज्य के औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों के साथ–साथ पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग भी राज्य के औद्योगिक विकास में सहभागी बने, इस हेतु औद्योगिक नीति में विशेष प्रयास दिए गए है । राज्य में अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, बंद तथा बीमार उद्योगों के पुनर्वास, उद्योगों में रोजगार प्राप्ति हेतु कौशल विकास, आदि की ओर समुचित ध्यान दिया गया है ।

1.5 औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार करते समय उद्योग संघों, उद्योगस्वामियों, निवेशकों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों आदि के साथ विचार–विमर्श किया गया है एवं उनके सुझावों तथा विचारों को महत्व देते हुए मान्य किया गया है। आशा की जाती है कि "औद्योगिक नीति 2004–2009" के कियान्वयन से राज्य के औद्योगिकरण को गति मिलेगी और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।

2. उद्देश्य –

2.1 औद्योगिकरण को गति प्रदान कर रोजगार सृजन कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर बढ़ाना ।

2.2 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज, वनोपज, आदि स्थानीय संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करने हेतु सुविधाजनक वातावरण निर्मित करना ।

2.3 राज्य के पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित कर संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना ।

2.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि कमजोर वर्गों के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना ।

2.5 राज्य में औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाना ।

2.6 राज्य में औद्योगिक अधोसरंचना निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

2.7 आर्थिक उदारीकरण जनित प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्वि करने के लिए आवश्यक वातारण निर्मित करना ।

3. रणनीति (स्ट्रेटजी) –

3.1 उद्योगों के लिए आवश्यक रेल–सड़क, विद्युत, पानी, आदि मूलभूत अधोसंरचना तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उपाय करना ।

3.2 सड़क, विकसित भूमि, पानी आदि कम समय में और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना तथा सस्ती विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कैप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देना ।

3.3 संपूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार तथा उनमें उपलब्ध सेवाओं में सुधार करना ।

3.4 ऐसे उद्योगों जिनकी स्थापना के लिए राज्य में प्रचुर संसाधन हैं, किन्तु उनकी स्थापना नहीं हो पायी है, की स्थापना के लिये क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए विशेष पार्क निर्माण करना तथा सामुहिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

3.5 ऐसे अपरम्परागत उद्योगों जिनकी स्थापना के लिए राज्य में आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से उनके विकास की महती संभावनाएं विद्यमान हैं, को चिन्हित कर उनकी स्थापना को विशेष प्रोत्साहन देना ।

3.6 राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में तथा कमजोर वर्गो को उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देना ।

3.7 कम से कम समय में राज्य के सभी क्षेत्रों में उद्योग आधारित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन देना ।

3.8 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के तकनीकी उन्नयन व आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देना ।

3.9 राज्य के युवावर्ग को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके कार्य कौशल में वृद्धि, मार्गदर्शन प्रदान जैसे उपाय करना ।

3.10 बीमार तथा बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु आवश्यकतानुसार विशेष पैकेज देना ।

3.11 निवेश के लिए आवश्यक सुविधाएं, सेवाएं तथा कानूनी क्लियरेंस सुगमता के साथ न्यूनतम समय में उपलब्ध कराने के लिए "एकल संपर्क बिन्दु" तथा "समय बद्ध क्लियरेंस" की प्रभावी व्यवस्था निर्मित करना ।

4. कार्य नीति –

4.1. बुनियादी अधोसंरचना–

4.1.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल / उसके उत्तराधिकारी विद्युत वितरण उपक्रम(ों) द्वारा उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाली सतत् तथा निर्बाध विद्युत प्रदाय करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे । उद्योगों की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु केप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

4.1.2 उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता का आंकलन किया जाएगा और उनकी पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य उपायों के साथ–साथ प्रदेश की ऐसी नदियों जिनमे ग्रीष्मकाल में जलप्रवाह कम हो जाता है, में जल संग्रहण करने हेतु "एनीकट श्रृंखलाओं" का निर्माण एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाएगा ।

4.1.3 प्रस्तावित दल्ली राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल लाईन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराने के लिए सभी आवश्यक प्रयास एवं उपाय किए जाएंगें ।

4.1.4 विद्यमान तथा भविष्य मे निर्मित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों, निर्यात क्षेत्रों, आदि को राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशनों से उत्कृष्ट सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा ।

4.1.5 बुनियादी अधोसंरचना की परियोजनाओं में देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेश एवं भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जायेगा । इसके लिये "बी. ओ. टी.", "बी. ओ. ओ. टी." आदि पर आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी और राज्य सरकार अपने स्त्रोतों से स्वयं भी परियोजानाएं क्रियान्वित करेगी ।

4.2 औद्योगिक अधोसंरचना –

4.2.1 नए उद्योगों की स्थापना हेतु बुनियादी अधोसंरचना की उपलब्धता को दृष्टिगत् रखते हुये इंडस्ट्रियल जोनिंग एटलस तैयार करने के लिये पहल की जायेगी ।

4.2.2 राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिये लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय के समीप उपयुक्त स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा ।

4.2.3 निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

4.2.4 नये उद्योगों की स्थापना हेतु क्लस्टर एप्रोच अपनाई जायेगी और हर्बल पार्क, फूड पार्क, एल्यूमीनियम पार्क, मेटल पार्क, अपरेल पार्क, आई.टी.पार्क, सायकल काम्पलेक्स, जैम एण्ड ज्वेलरी पार्क आदि के लिये उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित कर इनकी स्थापना की जायेगी ।

4.2.5 राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, शीतगृह, आदि आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ।

4.2.6 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, जलप्रदाय, विद्युत प्रदाय तथा कॉमन सुविधाओं के निर्माण, सुधार तथा रखरखाव हेतु राज्य सरकार के स्त्रोतों से तथा भारत सरकार की औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत कार्य किया जाएगा । इस कार्य में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल बनाए जायेगें ।

4.2.7 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 'विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र', 'कृषि निर्यात प्रक्षेत्र' तथा 'एयर कार्गो काम्पलेक्स' की स्थापना तथा विद्यमान 'इनलेण्ड कंटेनर डिपो' में सुविधायें बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायेंगे ।

4.2.8 औद्योगिक क्षेत्रों तथा पार्कों के बाहर उद्योगों की स्थापना हेतु विशेषकर वृहद तथा मेगा उद्योगों के लिये, निवेशकों को शासकीय राजस्व भूमि तथा निजी भूमि का अर्जन कर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।

4.2.9 औद्योगिक क्षेत्रों के पास राज्य गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य शासकीय तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पहल की जायेगी ।

4.3 प्रशासकीय तथा कानूनी सुधार –

4.3.1 राजधानी में उद्योगों तथा औद्योगिक निवेश से संबंधित सभी एजेंसियां एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इस हेतु रायपुर में "उद्योग परिसर" का निर्माण किया जायेगा, जिसमें निवेशकों के सभी कार्य एक छत के नीचे हो सकेंगे ।

4.3.2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिये औद्योगिक संगठनों, निवेशकों तथा विशेषज्ञों से सतत् विचार–विमर्श हेतु संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उद्योग सलाहकार बोर्ड का गठन किया जायेगा ।

4.3.3 'छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002' के अधीन गठित जिला निवेश प्रोत्साहन समिति तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा । निवेश हेतु आवश्यक क्लियरेंस सुनिश्चित कालावधि के भीतर उपलब्ध कराने तथा संबंधित एजेंसीज द्वारा ऐसा न करने पर 'डीम्ड अप्रूवल' की व्यवस्था लागू की जाएगी ।

4.3.4 निवेशकों को विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनिक क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए "एकल सम्पर्क बिन्दु" के रूप में कार्य करने के लिए राज्य तथा जिला स्तरीय नोडल एजेंसी नामज़द की जाएंगी जो समस्त क्लियरेंस उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगी।

4.3.5 श्रम कानूनों को सरलीकृत करने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी ।

4.4 निर्दिष्ट प्रोत्साहन–

4.4.1 राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु ब्याज अनुदान, अधोसंरचना लागत/ स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क छूट, प्रवेश कर छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दर पर प्लाट आबंटन, भू–डाईवर्शन पर छूट, परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान, आदि मदों में निर्दिष्ट प्रोत्साहन दिए जाएगें ।

4.4.2 निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) **सामान्य क्षेत्र** – नीचे खंड (दो) के जिलों को छोड़कर राज्य के शेष समस्त जिलों का क्षेत्र

(दो) **अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र** – दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र

4.4.3 निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से निवशकों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशक

(दो) अप्रवासी भारतीय तथा शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. वाले निवेशक

(तीन) सामान्य वर्ग के निवेशक – उपर्युक्त खण्ड (एक) तथा (दो) के निवेशकों को छोड़कर शेष समस्त निवेशक

4.4.4 निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) **लघु उद्योग** – भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अपनाई गई परिभाषा अनुसार

(दो) **मध्यम–वृहद उद्योग** – लघु उद्योगों को छोड़कर रुपये 100 करोड़ तक के सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग

(तीन) **मेगा प्रोजेक्टस** – रु. 100 करोड़ से रुपये 1000 करोड़ तक के सकल पूंजीगत लागत वाले वृहद उद्योग

(चार) रुपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति–वृहद उद्योग

4.4.5 उद्योग के महत्व की दृष्टि से निर्दिष्ट प्रोत्साहन हेतु उद्योगों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(एक) **निषिद्ध सूची के उद्योग** – परिशिष्ट–2 की सूची में दर्शाए उद्योग, जिन्हें निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी

(दो) **विशेष थ्रस्ट उद्योग** – परिशिष्ट–3 की सूची में दर्शाए उद्योग, जिन्हें अतिरिक्त निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता होगी

(तीन) **सामान्य उद्योग** – निषिद्ध सूची तथा विशेष थ्रस्ट उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग

4.4.6 इस नीति में प्रावधानित निर्दिष्ट प्रोत्साहन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों के मामलों में लागू होगें :–

(एक) **नवीन औद्योगिक परियोजनाएं** – ऐसी समस्त नई औद्योगिक इकाईयां, जो 1 नवम्बर, 2004 तथा 31 अक्टूबर, 2009 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करें

(दो) **विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाएं** – दिनांक 1 नवम्बर, 2004 के पूर्व से उत्पादनरत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो राज्य सरकार के साथ 1 नवम्बर, 2004 के पश्चात् एम.ओ.यू. निष्पादित कर न्यूनतम रुपये 25 करोड़ का निवेश करते हुए मूल उत्पादन क्षमता (स्थापित क्षमता अथवा विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो) में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि करे और 31 अक्टूबर, 2009 के पूर्व विस्तार परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करे ।

उत्पादन क्षमता विस्तार की परियोजना में किए गए निवेश के मामलों में छूट/रियायत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता/अतिरिक्त निवेश तक सीमित रहेगी । अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर दी जाने वाली छूट/रियायतों के प्रयोजन के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ने के बाद होने वाले कुल उत्पादन को मूल उत्पादन क्षमता और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांटा जाकर छूट/रियायत की पात्रता निर्धारित की जाएगी । कच्चे माल की खपत पर प्राप्त होने वाली छूट/रियायत की पात्रता भी इसी आधार पर परिगणित की जाएगी ।

4.4.7 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के निवेशकों को नवीन लघु, मध्यम–वृहद तथा मेगा उद्योग स्थापित करने के लिए "**परिशिष्ट–4**" में दर्शाए निर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4.4.8 अप्रवासी भारतीय तथा शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. वाले निवेशकों को संबंधित क्षेत्र में सामान्य निवेशकों को उपलब्ध होने वाले निर्दिष्ट प्रोत्साहन से 5 प्रतिशत अधिक निर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4.4.9 विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजना के लिए निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता यथास्थिति मध्यम–वृहद या मेगा उद्योग वर्ग के लिए सामान्य क्षेत्र में उपलब्ध अधिकतम निर्दिष्ट प्रोत्साहन के समतुल्य होगी ।

4.4.10 रुपये 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योगों को निर्दिष्ट प्रोत्साहन की पात्रता मेगा प्रोजेक्ट के लिए अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मे उपलब्ध अधिकतम निर्दिष्ट प्रोत्साहन के समतुल्य होगी ।

4.4.11 निर्दिष्ट प्रोत्साहन (छूट/रियायतें) उन्हीं औद्योगिक उपकमों को उपलब्ध होगी जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करें ।

4.4.12 जिन उद्योगों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किंतु नियत दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2001–2006 में प्रावधानित छूट/रियायतों का पैकेज प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

4.4.13 भारत शासन अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ उपकम संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर) को निर्दिष्ट प्रोत्साहन की छूट / रियायतें प्राप्त नहीं होंगी ।

4.4.14 इस नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले निर्दिष्ट प्रोत्साहनों के लिए नियम बनाए जाएंगे/ संगत कानूनों के अधीन आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की जाएगीं ।

4.5 निजी क्षेत्र की भागीदारी–

4.5.1 राज्य में बुनियादी अधोसंरचना तथा औद्योगिक संरचना के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा ।

4.5.2 सार्वजनिक उपकमों को राज्य में वेल्यू–एडीशन के लिए निवेश करने वाली निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपकम बनाने के लिए, विशेष रूप से माइनिंग के क्षेत्र में, प्रोत्साहित किया जाएगा ।

4.5.3 अधोसंरचना निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रोत्साहित की जाएगी–

(1) सड़क, विद्युत, जल प्रदाय, आवास आदि बुनियादी अधोसंरचना

(2) औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक पार्क निर्माण, क्लस्टर विकास आदि औद्योगिक अधोसंरचना

(3) एयर कार्गो काम्पलेक्स, इनलेण्ड कंटेनर डिपो, वेयरहाउसिंग, लाजिस्टिक हब आदि भौतिक अधोसंरचना

(4) स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि सामाजिक अधोसंरचना

4.6 विदेशी पूंजी निवेश/निर्यात संवर्धन–

4.6.1 निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के माध्यम से राज्य में निर्यात की संभावनाओं का सर्वेक्षण कराया जाएगा ।

4.6.2 भारत सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का पूरा उपयोग करने के लिए निर्यातक उद्योगों के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी ।

4.6.3 निर्यात संवर्धन के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्मित करने लिए पहल की जाएगी ।

4.6.4 अप्रवासीय भारतीयों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें व्यक्तिशः तथा समूहों में आमंत्रित कर राज्य के उद्यमियों के साथ 'सार्थक संवाद' स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी ।

4.6.5 निर्यातकों तथा निर्यात से संबंधित संस्थानों के सहयोग से वर्कशाप, सेमीनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित कर निर्यात विधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ।

4.6.6 उद्योगों के तकनीकी उन्नयन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तथा शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा ।

4.6.7 अप्रवासी भारतीयों द्वारा एफ.डी.आई. के निवेश के लिए अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

4.7 बीमार और बंद औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वास–

4.7.1 बीमार उद्योगों की पहचान करने की सरलीकृत प्रणाली विकसित की जाकर रुग्णता की ओर बढ़ रहे उद्योगों की सतत् रुप से जानकारी एकत्र की जाएगी और उन्हें कार्यशील बनाए रखने के लिए उपाय किए जायेगें ।

4.7.2 लघु उद्योगों के मामलों में बंद एवं बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु उद्योग की श्रेणीवार वित्तीय तथा गैर–वित्तीय छूट/रियायतों का प्रावधान करते हुए योजना बनाई जाएगी । मध्यम एवं वृहद बंद/बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास हेतु आवश्यकतानुसार विशेष पैकेज बनाए जायेगें ।

4.8 लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन–

4.8.1 इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि रोजगार के सर्वाधिक अवसर लघु एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में निर्मित होते हैं, इनकी स्थापना के लिए दिए जाने वाले निर्दिष्ट प्रोत्साहनों का युक्तियुक्तकरण करते हुए उनमें वृद्धि की गई है ।

4.8.2 हस्तकरघा तथा हस्तशिल्पं के विकास हेतु समुचित प्रशिक्षण एवं विपणन के लिए उपलब्ध संस्थागत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

4.8.3 टसर के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ–साथ टसर पर आधारित उद्योगों तथा टसर उत्पादों के विपणन की सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उपाय किए जायेगें ।

4.8.4 राज्य सरकार के विभागों तथा शासकीय उपक्रमों द्वारा की जाने वाली खरीदी में लघु तथा ग्रामोद्योगों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता तथा 10 प्रतिशत तक क्रय अधिमान्यता को जारी रखा जाएगा ।

4.9 मानव संसाधन विकास–

4.9.1 राज्य के उद्योगों की कुशल श्रमिकों की भावी आवश्यकता तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का आंकलन किया जाकर मांग एवं आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के उपाय किए जायेगें ।

4.9.2 राज्य के उद्योगों के लिए कुशल युवक/युवतियॉ उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार शासकीय तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों में, प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी ।

4.9.3 राज्य में स्थापित उद्योगों के स्वामियों तथा निजी क्षेत्र को नई तकनीकी संस्थाएँ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जायेगा । प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ–साथ अन्य आवश्यक सहायता दी जायेगी ।

4.10 औद्योगिक नीति के कियान्वयन का अनुश्रवण –

इस औद्योगिक नीति के कियान्वयन का अनुश्रवण राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन बोर्ड / उसकी उच्चाधिकार प्राप्त अंतर्विभागीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को विशेष रुप से आमंत्रित किया जाएगा ।

परिशिष्ट–1

परिभाषाएं :

1 "**नियत दिनांक**" से अभिप्रेत है एक नवंबर सन् 2004,

2.1– "**सामान्य क्षेत्र**" से अभिप्रेत है राज्य के रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजदनांदगांव,, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा तथा रायगढ़ जिलों का क्षेत्र,

2.2– "**अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र**" से अभिप्रेत है राज्य के उत्तर बस्तर (कांकेर), बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र,

3 "**औद्योगिक क्षेत्र**" से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान / ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक तथा राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र,

4 "**नवीन औद्योगिक इकाई**" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2004 या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

5 "**विद्यमान औद्योगिक इकाई**" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004–09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो,

6 "**विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार**" से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रू. स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षो के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है,

7 "**लघु उधोग इकाई**" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

8 **"मध्यम / वृहद औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका सकल स्थायी पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगों हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु रू. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन, औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

9 **"मेगा प्रोजक्ट"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत सरकार के उद्योग मत्रांलय से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन, औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त कर राज्य के उद्योग संचालनालय का उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

10 **"विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग"** से अभिप्रेत है परिशिष्ठ–3 में सम्मिलित उद्योग,

11 **"अपात्र उद्योग"** से अभिप्रेत है परिशिष्ठ–2 में सम्मिलित उद्योग,

12 **"सकल पूंजीगत लागत"** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिए आवश्यक अधोसंरचना लागत की कुल राशि,

13 **"अधोसंरचना लागत"** से अभिप्रेत किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किये गये निवेश से है ,

14 **"भूमि"** से अभिप्रेत औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक कय की गई या लीज पर ली गई भूमि से है तथा "भूमि व्यय" में सम्मिलित है भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम तथा भुगतान किया गया मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क,

15 **"भूमि विकास"** के अन्तर्गत सम्मिलित हैं भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण तथा ड्रेनेज निर्माण,

टीप : भूमि विकास पर किया गया निवेश भूमि एवं भवन पर मान्य स्थायी पूंजी निवेश के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा,

16 **"पहुंच मार्ग"** से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक उपक्रम के फेक्ट्री परिसर के निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों / स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो, बशर्ते फेक्ट्री परिसर तक शासन के किसी विभाग /उपक्रम का कोई पहुंच मार्ग न हो,

17 **"विद्युत आपूर्ति निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन औद्योगिक इकाई या किसी विद्यमान उद्योग की विस्तारित इकाई में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल / उसके उत्तराधिकारी उपक्रम(ों) को भुगतान की गई राशि तथा उससे संबंधित अधोसंरचना पर व्यय की गई राशि से है,

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट तथा छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी ।

(2) यदि केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना केवल स्वयं के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को "विद्युत निवेश" के तहत् मान्य किया जाएगा, जिसके लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

18 **"जल आपूर्ति निवेश"** से अभिप्रेत् किसी नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किए गए निवेश (प्रतिभूति तथा संबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोडकर) से है, बशर्ते कि जल आपूर्ति की व्यवस्था शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् की गयी हो,

19 **"स्थायी पूंजी निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु औधोगिक इकाई द्वारा उसके परिसर में फेक्ट्री भवन, शेड, प्लांट एवं मशीनरी तथा रेल्वे साइडिंग के रुप में स्थायी परिसम्पत्तियों में किए गए निवेश से है,

20 **"शेड–भवन"** से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोग शाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, साईकिल / स्कूटर स्टेण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट, माल गोदाम,

21 **"प्लांट एवं मशीनरी"** सें अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयत्र एवं उपकरण, आदि,

टीप: न्यूनतम 10 वर्ष की, कालावधि के लिए प्राप्त किए गए ऐसे लीज–होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया" द्वारा जारी "एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रकिया एवं मापदण्ड" के अनुसार किया जाएगा;

22 **"रेलवे साइडिंग"** से अभिप्रेत औद्योगिक इकाई के कार्यस्थल से विद्यमान रेल्वे लाइन तक बिछाई गई रेलवे लाइन तथा संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से है,

टीपः स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

(क) लघु उद्योग की दशा में उपक्रम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः मास की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश

(ख) वृहद / मध्यम उद्योग की दशा में उपक्रम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 3 वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश

(ग) मेगा प्रोजेक्ट की दशा में उपक्रम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश

23 **"वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक"** से अभिप्रेत है–

(क) लघु उद्योग के मामले में औधोगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण –उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो,

ख) रूपये 10 करोड तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औधोगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ग) रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(घ) रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ड) रू. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

टीप : वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के संबंध में कोई विवाद होने पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अन्तिम होगा ।

24 **"अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित जाति /जनजाति,

25 **"अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग** द्वारा **प्रस्तावित/ स्थापित उद्योग"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो,

26 "**प्रभावी कदम**" से अभिप्रेत, निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करने से है –

- क. इकाई ने भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो,
- ख इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड–भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो, तथा
- ग इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का पक्का क्रय आदेश दे दिया हो ।

परिशिष्ठ–2

उन उद्योगों की सूची जिन्हे छूट/रियायतों की पात्रता नही होगी (निगेटिव लिस्ट) :

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना

(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,

(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)

(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)

(7) हालर मिल

(8) बुक वाईडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना

(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)

(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीकाफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)

(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)

(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)

(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण

(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल

(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण

(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)

(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क

(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना

(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण

(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स

(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(24) फोटो लेबोरिटीज

(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)

(26) सभी प्रकार के कूलर

(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग

(28) रबर स्टाम्प बनाना

(29) बारदाना मरम्मत

(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)

(31) लेदर टेनरी

(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)

(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

परिशिष्ठ–3

विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूचीः :

1 हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण

2 आटोमोबाईल,आटो कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग

3 प्लांट / मशीनरी / इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण

4 एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद

5 खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान / सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)

6 मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद

7 फार्मस्यूटिकल उद्योग

8 व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद

9 अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन

10 सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी

11 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

परिशिष्ठ –4

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु छूट / रियायतें

1– . ब्याज अनुदान :

लघु तथा मध्यम–वृहद उद्योगों को सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान मेगा उद्योगो को उपलब्ध नहीं होगा –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करें
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे	7 वर्ष तक कुल भुगतानं किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष तक बिना किसी अधिकतम सीमा के, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे

ख– मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ सामान्य क्षेत्र	निरंक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे
श्रेणी ब अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष तक अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक, बशर्ते निवेशक न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करे

2–अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

लघु , मध्यम–वृहद तथा मेगा उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशकों के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के	सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के निवेशकों के मामलों में सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की महिला निवेशकों को सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशकों को सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की महिला निवेशको को 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के	सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशकों को सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की महिलाओं को 35 प्रतिशत, बिना किसी अधिकतम सीमा के

ख– वृहद–मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के निवेशकों के मामलों में सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किए गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

ग– मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए अधोसंरचना लागत की 25 प्रतिशत राशि, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के निवेशकों के मामलों में सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की महिला निवेशकों को 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत, अधिकतम राज्य में भुगतान किये गए 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

टीप : अनुदान की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए भुगतान किए गए वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रयकर की ऐसी राशि, जिसका वैट स्कीम में समायोजन/वापसी का दावा किया गया हो, सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

3– विद्युत शुल्क छूट

केवल नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी । विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं को विद्युत शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट 2. अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

ख– वृहद–मध्यम

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

ग– मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट

4– स्टाम्प शुल्क से छूट –

"परिशिष्ट–4–ए" में दर्शाये गये उद्योगों को स्टाम्प शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

(1) औद्योगिक इकाई के लिए भूमि, शेड तथा भवनों के कय/लीज के विलेखों के निष्पादन पर छूट,

(2) औद्योगिक इकाई द्वारा लिए जाने वाले ऋण तथा अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर इकाई के पंजीयन दिनांक से तीन वर्ष तक छूट

5– प्रवेश कर से छूट –

उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अथवा प्रथम बार छूट लेने के दिनांक, जो भी पहले हो, से निम्नलिखित कालावधि के लिए प्रवेश कर के भुगतान से छूट दी जाएगी –

लघु उद्योग / मध्यम –वृहद /मेगा प्रोजेक्ट /अति वृहद उद्योग–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 5 वर्ष तक छूट	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल , डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 7 वर्ष तक छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 7 वर्ष तक छूट	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल , डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर 9 वर्ष तक छूट

6 औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट/रियायत :

निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

क लघु / मध्यम तथा वृहद उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये 100 प्रतिशत छूट,	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये 100 प्रतिशत छूट,

ख मेगा प्रोजेक्ट –

क्षेत्र	समान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये भू– प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट	भू– प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट। अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये 100 प्रतिशत छूट	भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के निवेशकों के लिये 100 प्रतिशत छूट

टीप : अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके , इस हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक तथा अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू–खण्ड इन वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

7. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

नवीन उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग स्थापना उपरांत निम्नलिखित विवरण अनुसार अनुदान दिया जाएगा –

लघु/मध्यम–वृहद/मेगा प्रोजेक्ट –

क्षेत्र	समस्त उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के निवेशकों को परियोजना लागत का 1 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 1 लाख
श्रेणी ब्–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सभी निवेशकों के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की शत प्रतिशत राशि, अधिकतम सीमा रू. 2 लाख

8 प्रौद्योगिकी प्रौन्नति हेतु ब्याज अनुदान

विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय संस्थाओं से तकनीकी प्रोन्नति हेतु लिये गये सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी पर "प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष" से निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख वार्षिक
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक

ख. मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ– सामान्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 12.5 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत, अधिंकतम सीमा रू. 12.5 लाख वार्षिक
श्रेणी ब–अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

ग. मेगा प्राजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ– सामान्य क्षेत्र	निरंक	निरंक
श्रेणी ब अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

9 भूमि व्यपवर्तन शुल्क से छूट

नवीन लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए पूर्ण छूट दी जाएगी ।

10 औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आवंटन सेवा शुल्क

उद्योगों के लिए निजी भूमि का अर्जन करने के लिए जिला कलेक्टर को देय 10 प्रतिशत सेवा शुल्क तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों के लिए अर्जित निजी भूमि / शासकीय भूमि के आबंटन के लिए देय 25 प्रतिशत सेवा शुल्क को कम करके निम्नानुसार किया जाएगा–

क– निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को अवार्ड राशि के 5 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क देय होगा,

ख– उपर्युक्त के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अर्जित निजी भूमि/ शासकीय भूमि के आवंटन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को भूमि के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क देय होगा.

11 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

राज्य में स्थापित किये गये समस्त नवीन उद्योगों को, आईएसओ–9000, आईएसओ–14000 या अन्य समान राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर इस हेतु किये गये व्यय के 50 प्रतिशत या रू. 75,000, जो भी कम हो, की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

12 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान

राज्य में स्थापित किये गये समस्त नवीन उद्योगों को, पेटेन्ट प्राप्त करने पर इस हेतु किये गये व्यय के 50 प्रतिशत या रू. 5 लाख, जो भी कम हो, की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

परिशिष्ठ–4–ए

स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता वाले उद्योगों की सूची:

1– लघु उद्योग के मामलों में "परिशिष्ट–2" के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को छूट प्राप्त होगी,,

2– मध्यम–वृहद उद्योग– मेगा प्रोजेक्ट : निम्न उद्योगों को छूट प्राप्त होगी–

1. हर्बल तथा वनोषधि प्रसंस्करण उद्योग
2. ऑटो मोबाईल, आटो कम्पोनेंट एवं [illegible] उद्योग
3. प्लांट /मशीनरी/ इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण उद्योग
4. एल्यूमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद उद्योग
5. खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान /सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)
6. मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद उद्योग
7. फार्मास्यूटिकल उद्योग
8. व्हाईट गुडस तथा इलेक्ट्रोनिक उपभेक्ता उत्पाद उद्योग
9. अपरम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन
10. सूचना प्रौघोगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी उद्योग
11. अन्य विशेष थ्रस्ट उद्योग
12. वनोपज पर आधारित उद्योग
13. लौह एवं इस्पात का निर्माण तथा इन पर आधारित उद्योग
14. सीमेंट और सीमेंट पर आधारित उद्योग
15. कोयला एवं रसायन उद्योग
16. कीमती पत्थर व आभूषण उद्योग
17. ग्रेनाइट पर आधारित उद्योग
18. सड़क तथा शहरी अधोसंरचना जिसमें नवीन रायपुर का विकास शामिल है

19 जल प्रदाय

20 उर्जा उत्पादन पारेषण एवं वितरण

21 राईस ब्रान आयल साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

22 धान के पुवाल पर आधारित बोर्ड व पेपर मिल

23 कोल्ड स्टोरेज

24 लेमन ग्रास आयल, मेन्थाल आयल

25 बांस आदि पर आधारित कागज उद्योग

26 फूलों पर आधारित आयुवेदिक दवा निर्माण

27 फूलों पर आधारित सेंट व परफ्यूम

28 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाए